न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 75/2018

आजम पुत्र दीनू जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. जमील
2. उन्नस पिसरान छुट्टू जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खाँ वकील वादी

श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)

दिनांक :–13/01/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 88/0.35, 93/1/0.12, 736/0.22, 737/0.25 हैक्टर बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 के 1/2 हिस्से को करीब 12–13 साल पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी को काश्त पर दे दिया था। तभी से वादी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को देरीना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए वादी आराजी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। जो इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है उसे कलमजन कराकर वादी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण का आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु रिकॉर्ड में आज भी प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा है जो खिलाफ कानून व मौका है। यह कि दिनांक 10/07/18 को प्रतिवादीगण ने ग्राम सोमका में वादी को ऐलानिया धमकी दी है। कि आराजी हमारे नाम चल रही है इसलिए उसे हम दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगे और

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

कब्जा नाजायज करके रहेगे यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को हक तलफी होगी और नुकसान अजीम होगा । विनाय मुखास्मत दिनांक 10/07/2018 को ग्राम सोमका में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दी गई धमकी से एव दिनांक 10/07/2018 को नकल जमाबन्दी लेने पर पैदा हुई। अत: दावा पेश कर निवेदन है कि आराजी मुत0 खसरा नम्बर मद नं0 2 वाद पत्र बांके ग्राम सोमका पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज गलत राजस्व रिकॉर्ड में हो रही है जिसे वादी कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया । प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जबाब दावा पेश ना करने के कारण दिनांक 08/03/2021 को जबाब दावा बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य पेश ना करने के कारण दिनांक 27/09/2021 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी पेश ना करने के कारण दिनांक 24/12/2021 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 88/0.35, 93/1/0.12, 736/0.22, 737/0.25 हैक्टर बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 के 1/2 हिस्से को करीब 12–13 साल पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी को काश्त पर दे दिया था। तभी से वादी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को देरीना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

परन्तु मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा दावा को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। न ही वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रतिवादी ने वादी को भूमि का हस्तांतरण किया हो। ऐसी स्थिति में कब्जे के आधार पर वादी का कथन सिद्ध नहीं होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)

फाईनल डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 75/2018
आजम पुत्र दीनू जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी — वादी

बनाम

1. जमील
2. उन्नस पिसरान छुट्टू जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी — प्रतिवादीगण

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) — फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/01/. सन् 2022 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		